बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं0(CIN)-. U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि0वि0स0पु0–5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

विनय कुमार
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : policenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

संचिका सं0–स्था0/अपील–प्राधि0/28/2024/पु0नि0 दिनांक–.....2024

आदेश सं0 –421/2024

श्री सुबोध कुमार, पिता–श्री बिपिन सिंह, ग्राम–मधुरापुर, पुरवारी टोला, पो0–मधुरापुर, जिला–बेगूसराय, बिहार, पिन–851131 द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश–318/2024, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 3310, दिनांक–17.08.2024, जिससे बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क)7 के प्रावधानों के तहत मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 के निबंधन सं0–प्रथम 29/2021–22 (कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आगामी 02 वर्षों के लिये कालीकृत किया गया है, के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। श्री सुबोध कुमार मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 के निदेशक हैं।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं0–17 से, निम्नांकित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थीः–

क्रम सं0–17–भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

3. ई–निविदा की कंडिका–35 में निम्न शर्तें अंकित थी :–

"35–निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

4. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1785 दिनांक–23.06.2022 के द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1853 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा पुनः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

7. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23, क्रम सं0–17 भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 04 संवेदकों के द्वारा यथा–चंदन कुमार, 2. निर्माण इन्जीकोन प्रा0 लि0, 3. प्रितम सागर इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 एवं 4. महनार इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

8. मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 द्वारा निविदा की शर्त सं0–35 के अनुपालन में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में Dy. Chief Engineer/Con/II East Central Railway, Samastipur द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सं0–W/Con/247/Dy. CE/Con/II/ SPJ/CA-17 दिनांक–22.06.2018 समर्पित किया गया था।

9. मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate), निर्गत कार्यालय यथा– Dy. Chief Engineer/Con/II East Central Railway, Samastipur को, निविदाकार मे0 निर्माण एन्जीकोन्स प्रा0 लि0 द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–SE 86 दिनांक–03.04.2023 द्वारा दिनांक–15.04.2023 को अपराह्न 03:36 बजे उनके ई–मेल–dyceconiispj@gmail.com पर भेजा गया।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण के उपर्युक्त पत्र के आलोक में श्री मिन्टू कुमार गोयल, उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/II, पूर्व मध्य रेलवे का पत्र सं0–डब्लू/कान/247/11/सम/कार्य/निर्माण इंजीकॉन दिनांक–19.04.2023 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ई–मेल आईडी0– se12bpbcc@gmail.com पर दिनांक–19.04.2023 को अपराह्न 04:56 बजे सूचित किया गया कि " आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र इस इकाई द्वारा न तो निर्गत किया गया है और न ही उस पर किया गया अधिकारी का हस्ताक्षर उपलब्ध नमूना से मेल खाता है।"

11. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0, गा0+पो0– मोहनपुर, वार्ड सं0–01, जिला–बेगूसराय, बिहार, 851131 द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 एवं कंपनी के निदेशक श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, निदेशक–श्रीमती रीना देवी, निदेशक–श्री सुबोध कुमार एवं निदेशक श्री पंकज कुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। दर्ज प्राथमिकी की सं0–पटना हवाई अड्डा थाना कांड सं0– 151/2023 दिनांक–28.07.2023 है।

12. तत्पश्चात्, आपराधिक षडयंत्र के तहत निविदा के साथ जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर छल पूर्वक कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क)7 के प्रावधानों के तहत मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–318/2024, सहपठित ज्ञापांक– एच0क्यू0 3310 दिनांक–17.08.2024 के द्वारा मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 का निबंधन सं0–प्रथम 29/2021–22(कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आगामी 02(दो) वर्ष तक के लिये कालीकृत करने का आदेश पारित किया गया।

13. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि

(i) निगम द्वारा प्रकाशित ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के क्रम सं0–17, भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये उनके द्वारा निविदा पत्र के साथ Dy. Chief Engineer/CE/con/E.C. Railway Samastipur द्वारा निर्गत कार्य अनुभव

प्रमाण पत्र सं0– W/Con/247/Dy. CE/II/SPJ/CA-17 दिनांक–22.06.2018 समर्पित किया था।

Bid Validity Period समाप्ति के उपरान्त दिनांक–24.04.2023 को उनके द्वारा एक लिखित आवेदन निगम में समर्पित किया गया, जिसका पावती रसीद निगम द्वारा फर्म को उपलब्ध कराया गया। उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र वापस लेने के उपरांत उक्त निविदा की तकनीकी बीड दिनांक 25.4.2023 को खोला गया, चूंकि उनके फर्म ने अपना निविदा प्रपत्र दिनांक 24.4.2023 को ही वापस ले लिया, इसलिये फर्म निविदा प्रक्रिया में शामिल ही नहीं था।

(ii) उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ Dy. Chief Engineer/CE/con/E.C. Railway Samastipur द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सं0– W/Con/247/Dy. CE/II/SPJ/CA-17 दिनांक–22.06.2018 संलग्न किया गया। निगम द्वारा उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया एवं श्री मिन्टू कुमार, उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/11/पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर के पत्र, दिनांक–19.04.2023 द्वारा 05 पूर्व निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह कहा गया कि "अनुभव प्रमाण पत्र इस इकाई द्वारा न तो निर्गत किया गया है और न ही उस पर किया गया अधिकारी का हस्ताक्षर उपलब्ध नमूना से मेल खाता है" एवं अनुभव प्रमाण पत्र को Ingenue (निष्कपटता) माना जा रहा है। निविदा तकनीकी समिति द्वारा (NIT की) कंडिका 41(ङ) के अनुसार उनके फर्म की निविदा को दिनांक 25.4.2023 को Non Responsive मान लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी निविदा पत्र का withdrawal हो चुका और वह किसी भी तरह विचारणीय नहीं था।

(iii) निगम के पत्र सं० HQ 1703, दिनांक 3.6.2024 के द्वारा पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर फर्म से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण के साथ श्री मिन्टू कुमार गोयल, उप मुख्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे का पत्र, दिनांक–19.04.2023 संलग्न नहीं किया गया और न ही आज तक उनके फर्म को उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण उन्हे स्पष्टीकरण का जवाब देने में काफी दिक्कते आयी। उप मुख्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे का पत्र, दिनांक–19.04.2023 नहीं उपलब्ध कराया जाना एवं उसके ही आधार पर स्पष्टीकरण की मांग नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।

(iv) उनके फर्म द्वारा दिनांक 14.6.2024 को विस्तृत स्पष्टीकरण, निगम को समर्पित किया गया, परन्तु स्पष्टीकरण में फर्म द्वारा दिये गये बिन्दुओं का निगम द्वारा बिन्दुवार विश्लेषण नहीं किया गया तथा बिहार निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11(क)7 के प्रावधानों के तहत उनके फर्म, मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 के निबंधन संख्या–प्रथम 29/2021–22(कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आगामी 02 वर्ष तक के लिये कालीकृत कर दिया गया।

(v) निगम के पत्र सं0–एच0क्यू0 1703 दिनांक–3.6.2024 में उनके फर्म को काली सूची में डालने की अवधि का जिक्र न होना, स्पष्टीकरण नोटिस को अवैध बनाता है।

(vi) उपर्युक्त के अलावा निगम द्वारा आपराधिक मुकदमा फर्म एवं निदेशकों के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें सभी निदेशक अभी अग्रिम जमानत पर हैं। इसके अलावा अग्रधन की राशि की भी विमुक्ति नहीं की जा रही है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का सरासर उल्लंघन है। उनके फर्म के विरूद्ध जो कालीकृत करने की प्रक्रिया अपनायी गयी है, उसमें सामान्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है।

14. दिनांक–16.10.2024 को अपीलकर्ता, विद्वान अधिवक्ता, श्री कुन्दन कुमार सिन्हा के साथ उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता एवं उनके साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्र, दिनांक–03.06.2024 के साथ श्री मिन्टू कुमार गोयल, उप मुख्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे का पत्र, दिनांक–19.04.2023 संलग्न नहीं रहने एवं इससे स्पष्टीकरण का जवाब देने में कठिनाई होने का उल्लेख किया गया। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुन्दन कुमार सिन्हा के द्वारा इसे अन्य बातों के साथ दोहराया गया।

अपीलकर्ता के उपर्युक्त कथन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक–एच0क्यू0 4211, दिनांक–16.10.2024 के द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को, श्री मिन्टू कुमार गोयल, उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/II, पूर्व मध्य रेलवे के पत्र, दिनांक–19.04.2023 की प्रति अपीलकर्ता को अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जो मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्र सं0–एच0क्यू0 4447(अनु0), दिनांक–25.10.2024 के द्वारा अपीलकर्ता श्री सुबोध कुमार को उपलब्ध करायी गयी।

दिनांक–29.10.2024 को अपीलकर्ता श्री सुबोध कुमार का एक पत्र, दिनांक–28.10.2024, निगम के आदेश, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 4211 दिनांक–16.10.2024 के संदर्भ में प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलकर्ता के द्वारा पूर्व में समर्पित अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया गया है।

15. अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन में मुख्यतः 02 बातें कही गयी हैः–

(i) Bid Validity Period के बाद उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र वापस लेने के उपरान्त, निविदा की तकनीकी बीड दिनांक 25.4.2023 को खोला गया। चूंकि उनके फर्म ने अपना निविदा प्रपत्र दिनांक 24.4.2023 को ही वापस ले लिया, इसलिये फर्म निविदा प्रक्रिया में शामिल ही नहीं था। उनकी निविदा को दिनांक–25.04.2024 को Non Responsive मान लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी निविदा प्रपत्र का withdrawal हो चुका और वह किसी भी तरह विचारणीय नहीं था।

(ii) निगम के पत्र सं० HQ 1703, दिनांक 3.6.2024 के द्वारा पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण के साथ श्री मिन्टू कुमार गोयल, उप मुख्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे का पत्र, दिनांक–19.04.2023 संलग्न नहीं गया और न ही आज तक उनके फर्म को उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण उन्हे स्पष्टीकरण का जवाब देने में काफी दिक्कते आयी। उप मुख्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे का पत्र, दिनांक–19.04.2023 नहीं उपलब्ध

कराया जाना एवं उसके आधार पर स्पष्टीकरण की मांग, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।

16. अपीलकर्ता का यह कथन कि निविदा वैद्यता की अवधि के बाद उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र वापस लेने के बाद उनकी निविदा प्रपत्र किसी भी तरह विचारणीय नहीं था, मान्य नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से ल़ाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित है।

आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये अपीलकर्ता के फर्म के निबंधन को आगामी 02 वर्ष के लिये कालीकृत किया गया है। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई विशिष्ट साक्ष्य या सफाई प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही फर्म के उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया। स्पष्ट है, अपीलकर्त्ता के द्वारा उपर्युक्त कंडिका में परिभाषित अपराध उस समय ही पूर्ण हो गया था, जिस समय निविदा के साथ छल करने के उद्देश्य से जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। फर्म के द्वारा कारित उपर्युक्त अपराध का प्रभाव निविदा की वैधता अवधि से प्रभावित नहीं होता है और न ही निविदा अवधि की समाप्ति या निविदा वापसी से कम या समाप्त हो जाता है।

17. अपीलकर्ता का यह कथन कि उप मुख्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे का पत्र, दिनांक–19.04.2023 नहीं उपलब्ध कराया जाना, उसके आधार पर स्पष्टीकरण की मांग एवं उनके फर्म के निबंधन को कालीकृत किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है, भी मान्य नहीं है। उप मुख्य इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे का उपर्युक्त पत्र, दिनांक–19.04.2023 की प्रति अपीलकर्ता को मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्र सं0–एच0क्यू0 4447(अनु0), दिनांक–25.10.2024 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी, परन्तु अपीलकर्ता के पत्युत्तर, दिनांक–28.10.2024 में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

18. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन अथवा अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि फर्म के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, अथवा उनके द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र असली (genuine) है, जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करता है कि फर्म तथा उसके निदेशकों के द्वारा जाली कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर निविदा कार्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

19. अतः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के क्रम सं0–17–भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिये मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश–318/2024, सहपठित ज्ञापांक–3310, दिनांक–17.08.2024, जिससे मे0 निर्माण इन्जीकोन्स प्रा0 लि0 का निबंधन सं0–प्रथम

29/2021–22(कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आगामी 02 वर्षों के लिये कालीकृत किया गया है, नियमसंगत तथा फर्म द्वारा बरती गयी अनियमितता के समानुपातिक है। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के उपर्युक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– श्री सुबोध कुमार, पिता–श्री बिपिन सिंह, ग्राम–मधुरापुर, पुरवारी टोला, पो0– मधुरापुर, जिला–बेगूसराय, बिहार, पिन–851131 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम